संख्या-- /xxiv(7)-111(6)/2014

प्रेषक,

निधि मणि त्रिपाठी
प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग-7(उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 07 नवम्बर, 2014

विषयः- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड डुण्डा के ब्रहमखाल में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री प्लान/15923/2013-14 दिनांक 04.03.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकास खण्ड डुण्डा के ब्रहमखाल में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों के पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक (बशर्ते कि ये पद इसके पूर्व समाप्त न कर दिये जॉय) के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

कसं	पदनाम	वेतनमान रू. में	ग्रेडवेतन रू. में	पद
1	प्राचार्य	37400-67000	10000	01
2	असिस्टेंट प्रोफेसर-हिन्दी	15600-39100	6000	01
3	असिस्टेंट प्रोफेसर-अंग्रेजी	15600-39100	6000	01
4	असिस्टेंट प्रोफेसर-समाजशास्त्र	15600-39100	6000	01
5	असिस्टेंट प्रोफेसर-मनोविज्ञान	15600-39100	6000	01
6	असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीतिशास्त्र	15600-39100	6000	01
7	असिस्टेंट प्रोफेसर-अर्थशास्त्र	15600-39100	6000	01
8	सहायक पुस्तकायाध्यक्ष	5200-20200	2800	01
9	वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	01
10	कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	02
11	पुस्तकालय लिपिक	5200-20200	2000	01
12	बुक लिफ्टर	आउटसोर्सिंग के माध्यम से		01
13	अनुसेवक			02
14	स्वच्छक/चौकिदार			02
	कुल योग-			17

2- उक्त तालिकानुसार स्वीकृत किये जा रहे पदों के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही निदेशालय द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

..................2/

3— सृजित पदों के सापेक्ष सुसंगत सेवानियमावली के आलोक में नियमानुसार नियुक्ति की जायेगी। तथा आउटसोर्सिंग के पदों पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

4— उक्त पदों के सृजन आदि पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—11 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक—2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—103—राजकीय कालेज तथा संस्थान—08—नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की सुसंगत इकाइयों से वहन किया जायेगा।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :148 (p)/xxvii(3)/2014—15 दिनांक 17 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(निधि मणि त्रिपाठी)
प्रभारी सचिव

पृ0सं0 2992(1)/ /xxiv(7)—11(6)/2014तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3— आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
4— जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
5— लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6— कोषाधिकारी संबंधित कोषागार।
7— निजी सचिव मा0 उच्च शिक्षा मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9— वित्त अनुभाग—3/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
10—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव।